

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1731/2025

सरोज कुमारी

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर (राज.)।
4. मंजू पूनिया, एएनएम ग्रेड प्रथम, उप स्वास्थ्य केन्द्र, हुसैनपुरा मिथडी, ब्लॉक लाडनू, जिला नागौर (राज.)।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.01.2025

आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री शोवित झांझरिया / श्री अंकित कुमार, अभिभाषक

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में एएनएम के पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र, बिडासर, लक्ष्मणगढ़, सीकर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप स्वास्थ्य केन्द्र, हुसैनपुरा मिथडी, ब्लॉक लाडनू, जिला नागौर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के पति सीएलडी/एएलडी बीमारी से पीड़ित हैं, उसका लिवर खराब होने के कारण उसे प्रतिदिन चिकित्सीय सहायता एवं देखरेख आवश्यक है। अपीलार्थी के स्थानान्तरण होने से उसकी देखरेख सही नहीं हो सकती। विषम परिस्थितियों को देखते हुये भी

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्थानान्तरण किया गया, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान में एएनएम के पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र, बिदासर, लक्ष्मणगढ, सीकर में कार्यरत है और आलोच्य आदेश अनुलग्नक-1 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला सीकर से जिला नागौर किया गया है। जबकि अनुलग्नक-5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पति सीएलडी/एएलडी एवं लिवर आदि से गंभीर रूप से पीडित हैं, जिसकी देखरेख एवं चिकित्सीय सहायता नित-प्रतिदिन आवश्यक है और ऐसी स्थिति में हम मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है एवं अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण होने तक वहीं पर कार्यरत रखा जावे, जहां चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष